



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237072  
CG-DL-E-05072022-237072

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ 13, 1944

No. 338]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.088.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अनुशासनिक कार्यवाहियां

11. अनुशासनिक कार्यवाहियों का संचालन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।"

## 3. मूल विनियमों की प्रथम अनुसूची में, —

(i) खंड 8क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: —

“8ख. कोई दिवाला व्यावसायिक, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह सदस्य है, कारपोरेट ऋणी, उसके द्वारा नियोजित अन्य व्यावसायिकों, वित्तीय लेनदारों, अंतरिम वित्त प्रदाताओं और भावी समाधान आवेदकों के साथ अपने संबंध को, यदि कोई है, इसमें इसके नीचे विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रकट करेगा:

दिवाला व्यावसायिक का निम्नलिखित के साथ संबंध	प्रकटन तीन दिन के भीतर किया जाना है
(1)	(2)
कारपोरेट ऋणी	उसकी नियुक्ति के
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक/लेखाकार/विधिक व्यावसायिक/उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यावसायिक	व्यावसायिकों की नियुक्ति के
वित्तीय लेनदार	लेनदारों की समिति के गठन के
अंतरिम वित्त प्रदाता	अंतरिम वित्त प्रदाता के साथ करार के
भावी समाधान आवेदक	भावी समाधान आवेदक को सूचना ज्ञापन का प्रदाय किए जाने के
यदि उपरोक्त में से किसी के साथ संबंध की जानकारी बाद में मिलती है या उद्भूत होती है	ऐसी जानकारी मिलने या उद्भूत होने के

8ग. कोई दिवाला व्यावसायिक, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह सदस्य है, उसके द्वारा नियोजित अन्य व्यावसायिकों के स्वयं के साथ, कारपोरेट ऋणी, वित्तीय लेनदार, अंतरिम वित्त प्रदाता, यदि कोई है, और भावी समाधान आवेदक के साथ संबंध का, यदि कोई है, नीचे विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रकटन सुनिश्चित करेगा:

अन्य व्यावसायिकों का निम्नलिखित के साथ संबंध	प्रकटन तीन दिन के भीतर किया जाना है
(1)	(2)
दिवाला व्यावसायिक	अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति के
कारपोरेट ऋणी	अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति के
वित्तीय लेनदार	लेनदारों की समिति के गठन के
अंतरिम वित्त प्रदाता	अंतरिम वित्त प्रदाता के साथ करार के या अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति के तीन दिन, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के
भावी समाधान आवेदक	भावी समाधान आवेदक को सूचना ज्ञापन का प्रदाय किए जाने के या अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति के तीन दिन, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के
यदि उपरोक्त में से किसी के साथ संबंध की जानकारी बाद में मिलती है या उद्भूत होती है	ऐसी जानकारी मिलने या उद्भूत होने के

स्पष्टीकरण: उपरोक्त खंड 8ख और 8ग के प्रयोजनों के लिए, “संबंध” से, अन्य व्यावसायिकों की नियुक्ति या इसके पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित चार प्रकार के संबंधों में से किसी एक या अधिक प्रकार का संबंध अभिप्रेत होगा:

संबंध का प्रकार	संबंध की प्रकृति
(1)	(2)
क	जहां, यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अन्य व्यावसायिक ने, किसी वर्ष में अपना 5 प्रतिशत या उसके अधिक सकल राजस्व, संबंधित पक्षकार को दी गई व्यावसायिक सेवाओं से व्युत्पन्न किया है।
ख	जहां, यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अन्य व्यावसायिक संबंधित पक्षकार का कोई शेयरधारक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या भागीदार है।
ग	जहां, यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अन्य व्यावसायिक का कोई नातेदार (पति/पत्नी, माता-पिता, पति/पत्नी के माता पिता, अपने या पति/पत्नी के भाई-बहन और संतान) का संबंधित पक्षकार के साथ क या ख प्रकार का संबंध है।
घ	जहां, यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अन्य व्यावसायिक, किसी कंपनी, फर्म या एल.एल.पी., जैसे दिवाला व्यावसायिक संस्था या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, का भागीदार या निदेशक है, वहां ऐसी कंपनी, फर्म या एल.एल.पी. के प्रत्येक भागीदार या निदेशक का संबंधित पक्षकार के साथ क, ख या ग प्रकार का संबंध।

8घ. कोई दिवाला व्यावसायिक, स्वयं द्वारा और उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यावसायिकों द्वारा समयबद्ध और सही प्रकटन सुनिश्चित करेगा और उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है, इस आशय का पुष्टिकरण प्रदान करेगा कि प्रत्येक अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति, यदि कोई है, निर्बंधित संबंधों के आधार पर की गई है।”

(ii) खंड 15 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“15क. कोई दिवाला व्यावसायिक, किसी हितधारक को अपनी समस्त संसूचनाओं में, अपना नाम, पता, ईमेल, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा, जिसका वह सदस्य है, जारी असाइनमेंट के प्राधिकार की विधिमान्यता, यदि कोई है, प्रमुख रूप से कथित करेगा।”

(iii) खंड 25क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“25ख. कोई दिवाला व्यावसायिक, अपनी फीस के मद्धे बिल या बीजक अपने नाम में तैयार करेगा और उसे ऐसी फीस का संदाय बैंकिंग चैनल द्वारा किया जाएगा।

25ग. कोई दिवाला व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि दिवाला व्यावसायिक संस्था या उसके द्वारा नियोजित व्यावसायिक, अपनी फीस मद्धे बिल या बीजक स्वयं अपने नाम में तैयार करते हैं और उन्हें ऐसी फीस का संदाय बैंकिंग चैनल द्वारा किया जाएगा।”

(iv) खंड 27 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“27क. कोई दिवाला व्यावसायिक, असाइनमेंट पर कार्य करते समय या प्रक्रियाओं का संचालन करते समय, युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता का बरतेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएगा कि कारपोरेट व्यक्ति लागू विधियों का अनुपालन करता है।

27ख. कोई दिवाला व्यावसायिक, संहिता के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया, फॉस्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, समापन प्रक्रिया या स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का संचालन करते समय कारपोरेट व्यक्ति पर लागू विधियों

के किसी उपबंध के अननुपालन के कारण उपगत दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत या परिसमापन लागत में किसी हानि मद्धे, जिसके अंतर्गत शास्ति, यदि कोई है, भी है, कोई रकम सम्मिलित नहीं करेगा।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./159/2022-23]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 294, तारीख 22 जुलाई, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22 /जी.एन./आर.ई.जी.077, तारीख 22 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किए गए।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

#### Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2022

**No. IBBI/2022-23/GN/REG088.**—In exercise of the powers conferred by sections [196](#), [207](#) and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, [2016 \(31\)](#) of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), for regulation 11, the following shall be substituted, namely:—

#### “Disciplinary Proceedings.

11. The disciplinary proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017.”

3. In the principal regulations, in the First Schedule,

(i) after clause 8A, the following clauses shall be inserted, namely:—

“8B. An insolvency professional shall disclose his relationship, if any, with the corporate debtor, other professionals engaged by him, financial creditors, interim finance providers, and prospective resolution applicants to the insolvency professional agency of which he is a member, within the time specified hereunder:

Relationship of the insolvency professional with	Disclosure to be made within three days of
(1)	(2)
Corporate debtor	his appointment.
Registered valuers / accountants/ legal professionals/ other professionals appointed by him	appointment of the professionals.
Financial creditors	the constitution of committee of creditors.
Interim finance providers	the agreement with the interim financeprovider.

Prospective resolution applicants	the supply of information memorandum to the prospective resolution applicant.
If relationship with any of the above, comes to notice or arises subsequently	of such notice or arising.

8C. An insolvency professional shall ensure disclosure of the relationship, if any, of the other professionals engaged by him with himself, the corporate debtor, the financial creditor, the interim finance provider, if any, and the prospective resolution applicant, to the insolvency professional agency of which he is a member, within the time specified as under:

Relationship of the other professional with	Disclosure to be made within three days of
(1)	(2)
Insolvency professional	the appointment of the other professional.
Corporate debtor	the appointment of the other professional.
Financial creditors	constitution of committee of creditors.
Interim finance providers	the agreement with the interim finance provider or three days of the appointment of the other professional, whichever is later.
Prospective resolution applicants	the supply of information memorandum to the prospective resolution applicant or three days of the appointment of the other professional, whichever is later.
If relationship with any of the above, comes to notice or arises subsequently	of such notice or arising.

Explanation: For the purposes of clause 8B and 8C above, 'relationship' shall mean any one or more of the following four kinds of relationships at any time or during the three years preceding the appointment of other professionals:

Kind of relationship	Nature of relationship
(1)	(2)
A	Where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, has derived 5% or more of his / its gross revenue in a year from professional services to the related party.
B	Where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, is a shareholder, director, key managerial personnel or partner of the related party.
C	Where a relative (spouse, parents, parents of spouse, sibling of self and spouse, and children) of the insolvency professional or the other professional, as the case may be, has a relationship of kind A or B with the related party.
D	Where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, is a partner or director of a company, firm or LLP, such as, an insolvency professional entity or registered valuer, the relationship of kind A, B or C of every partner or director of such company, firm or LLP with the related party.

8D. An insolvency professional shall ensure timely and correct disclosures by him, and other professionals appointed by him and shall provide a confirmation to the insolvency professional agency of which he is a professional member to the effect that the appointment, if any, of every other professional has been made at arms' length relationship."

(ii) after clause 15, the following clause shall be inserted, namely:—

"15A. An insolvency professional shall prominently state in all his communications to a stakeholder, his name, address, e-mail, registration number and validity of authorisation for assignment, if any, issued by the insolvency professional agency of which he is a member."

(iii) after clause 25A, the following clauses shall be inserted, namely:—

"25B. An insolvency professional shall raise bills or invoices in his name towards his fees, and such fees shall be paid to him through banking channel.

25C. An insolvency professional shall ensure that the insolvency professional entity or the professional engaged by him raises bills or invoices in their own name towards their fees, and such fees shall be paid to them through banking channel."

(iv) after clause 27, the following clauses shall be inserted, namely:—

"27A. An insolvency professional shall, while undertaking assignment or conducting processes, exercise reasonable care and diligence and take all necessary steps to ensure that the corporate person complies with the applicable laws.

27B. An insolvency professional shall not include any amount towards any loss, including penalty, if any, in the insolvency resolution process cost or liquidation cost, incurred on account of non-compliance of any provision of the laws applicable on the corporate person while conducting the insolvency resolution process, fast track insolvency resolution process, liquidation process or voluntary liquidation process, under the Code."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./159/2022-23]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2021 published *vide* notification No. IBBI/2021-22/GN/REG077 dated 22nd July, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 294 on 22nd July, 2021.